

17/03/2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पूर्व में तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता है। वकुलाय उभयपक्ष की प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया। वास्ते आदेश मिसल आईन्दा दिनांक 24.03.2025 को पेश हो।

F.D के लिए
सहमत
[Signature]

24/03/2025

पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[Signature]

राजवीर सिंह यादव
सपरखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. ओमप्रकाश पुत्र मालाराम जाति माली निवासी ढाणी हरजनवाली ग्राम रूपावास तन मावण्डा आर.एस. तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. वगैरह
-वादीगण

बनाम

1. अशोक पुत्र सांवलराम वगैरह

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 126 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.एस व हाजिरी श्री नवीन यादव एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 03 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|--|-------|------|--|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान | | | स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान | | |

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।